रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 1978/आश्विन 11, 1900

No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 1978/ASVINA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1978

सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 486(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, ऐसे पर्वतारोहण उपस्करों, सामग्रियों, कपड़ों, खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं (अलकोहलीय पेय, सिगरेट और तम्बाकू को छोड़कर), चिकित्सा भंडार, जिसमें दवाइयां और चिकित्सा उपस्कर सम्मिलित हैं, को, जिनका पर्वतारोहण अभियान द्वारा भारत में आयात किया जाता है और जो भारत में अभियान के दौरान उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक रूप से अपेक्षित हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन उनपर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से और द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन जहां कहीं उद्ग्रहणीय हों, समस्त अतिरिक्त शुल्क से भी छूट देती है:—

(i) अभियान भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है और उपर्युक्त किसी माल का आयात करने वाला अभियान आयात करते समय सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को उक्त प्रतिष्ठान से निम्नलिखित आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, कि—

(क) पर्वतारोहण अभियान उक्त प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित किया गया था ;

(ख) उक्त प्रतिष्ठान ने उक्त अभियान की बाबत भारत सरकार का निर्बाधन अभिप्राप्त कर लिया है ; और

(ग) आयात किया गया माल अभियान की सद्भाविक अपेक्षाओं के लिए है; और

(ii) भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा इस आशय का परिवचन दिया गया है कि (क) माल, सिवाए ऐसे उपभोज्य भंडार के जो उपयुक्त किया जाए या अन्य वस्तुएं जो भारत के अभियान के दौरान खो जाएं, उसके आयात की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, पुनःनिर्यात किया जाएगा ; और (ख) उपर्युक्त के अनुसार पुनः निर्यात न किए जाने की दशा में, उतना शुल्क संदत्त किया जाएगा, जितना इसमें अन्तर्विष्ट छूट के न होने की दशा में ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय होता।

[सं० 195/का०सं० 165/13/77—सीमाशुल्क—5]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd October, 1978

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts such mountaineering equipments, materials, clothings, food stuffs and provisions (excluding alcoholic drinks, cigarettes and tobacco), medical stores including medicines and medical equipments as are imported into India by a mountaineering expedition and are essentially required to be used during the expedition in India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under Customs Tariff Act, 1975 and also of the whole of the additional duty wherever leviable under section 3 of the second mentioned Act, subject to the following conditions :—

(i) the expedition is approved by the Indian Mountaineering Foundation, New Delhi and the expedition importing any of the goods aforesaid produces a certificate from the said Foundation, to the Assistant Collector of Customs, at the time of importation, to the effect that—

(a) the mountaineering expedition had been approved by the said Foundation;

(b) the said Foundation has obtained clearance of the Government of India in respect of the said expedition; and

(c) the goods imported are for the bona fide requirements of the expedition; and

(ii) an undertaking is given by the Indian Mountaineering Foundation, New Delhi, to the effect that (a) the goods, except such of the consumable stores as may be consumed or other articles as may be lost during the course of the expedition in India, shall be re-exported within six months from the date of their importation or within such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(b) in the event of the failure to re-export as aforesaid, duty which would have been levied on such goods but for the exemption contained herein, shall be paid.

[No. 195/F. No. 465/13/77-Cus. V]

सा०का०नि० 487(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 96—सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 211 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया, जाएगा, अर्थात्:—

"212 सं० 195 सीमाशुल्क, तारीख 3 अक्तूबर, 1978" ।

[सं० 196/फा० सं० 465/13/77-सीमाशुल्क-5]

एस० वसु, अवर सचिव

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 211 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"212. No. 195-Customs, dated the 3rd October, 1978".

[No. 196/F. No. 465/13/77-Cus. V]

S. BASU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978